



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष : 0771 - 2437004, 2445361, फ़ैक्स : 0771 - 2429385

प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिये शालाओं में दिनांक 18 जून 2018 से प्रवेश प्रारंभ होगा, इस हेतु प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :-

(अ) प्रवेश -

कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि 31-07-2018 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाय। कृपया इस बात से अवगत हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे बात पर आपत्ति दर्ज की गई है कि कुछ संस्थाओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना ही छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है अतः आप से अनुरोध किया जाता है कि जिन छात्रों के द्वारा 31 जुलाई 2018 तक नया प्रवेश लिया जायेगा उनकी समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यतः पूर्ण करें।

मण्डल सचिव की अनुमति से दिनांक 16-08-2018 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके पश्चात् किसी प्रकार के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कक्षा 10वीं के पूरक प्राप्त छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। मण्डल की पूरक/क्रेडिट योजना के अंतर्गत कोई छात्र/छात्रा उत्तीर्ण होते हैं तो उसे अगली कक्षा में परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर प्रवेश की पात्रता होगी। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के पूरक परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु पात्र होंगे तथा जो छात्र अनुत्तीर्ण होंगे वे पात्रतानुसार पिछली कक्षा में ही अध्ययनरत् रहेंगे।

(1) स्थानांतरण प्रकरण-

शासकीय सेवक (राज्य एवं केन्द्र) के स्थानांतरण की स्थिति में उनके पाल्यों को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी में सीधे प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु इसकी अंतिम तिथि 30-11-2018 होगी। उसे ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व विद्यालय से उपस्थिति की गणना प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(2) अतिरिक्त प्रवेश-

कक्षा 9वीं एवं 11वीं में विद्यालय की अधोसंरचना एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर संख्या निर्धारित करते हुये नवीन प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु निम्न सावधानी रखें :-



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

- (i) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में 10 प्रतिशत से अधिक सीधे प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है। उदाहरणार्थ— किसी संस्था में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण 100 छात्र, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 20 छात्र तथा श्रेणी सुधार के 10 छात्र हैं। इस प्रकार कुल 130 छात्रों का 10 प्रतिशत 13 होता है अर्थात् अधिकतम 13 छात्रों को ही प्राचार्य द्वारा बिना मण्डल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकता है, ऐसी संस्थाएँ जहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 45 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 45 छात्र संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (ii) यदि संस्था के प्राचार्य 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टाफ, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर के स्कूल भवन का नक्शा एवं फोटो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्धारित प्रपत्र में मण्डल कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें तथा मण्डल कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है तो यह मण्डल की जाँच का विषय होगा।

उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाय। नियम विरुद्ध प्रवेश दिये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

- (iii) प्रवेश नीति के विरुद्ध एवं अपात्र छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा सम्बंधित शाला की मान्यता भी समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।

टीप— किसी भी स्थिति में छात्र/पालक को प्रवेश अनुमति हेतु मण्डल कार्यालय न भेजे। संस्था के माध्यम से ही कार्यवाही की जावे।

(3) क्रेडिट योजना के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान

क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रथम बार सम्मिलित छात्र उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा तथा प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा।

(4) अन्य बोर्ड के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान—

अन्य बोर्ड जिन्हें मण्डल विनियम के अनुसार समकक्षता प्रदान की गयी है, उन बोर्ड के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी में प्रवेश की पात्रता होगी, लेकिन उन्हें ग्राह्यता की कार्यवाही दिनांक 31-08-2018 तक अनिवार्यतः पूर्ण करनी होगी।

ग्राह्यता प्रक्रिया—

केन्द्रीय बोर्ड - सी0 बी0 एस0 ई0/ आई0 सी0 एस0 ई0 या अन्य राज्यों के समकक्ष बोर्ड एवं मण्डल की नियम पुस्तिका- 216 में सूचीबद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य बोर्ड (छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल एवं छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम) के छात्रों को प्रवेश हेतु नियमानुसार ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्रों से घोषणा पत्र प्राप्त कर अस्थायी प्रवेश की कार्यवाही करें एवं ग्राह्यता हेतु शुल्क एवं निर्धारित प्रपत्र मण्डल में दिनांक 31-08-2018 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। किसी भी स्थिति में छात्र या पालक को ग्राह्यता हेतु मण्डल में न भेजें।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

ग्राह्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र मण्डल की वेब साइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन प्रविष्टि करें।

ग्राह्यता हेतु छात्र से मूल टी0 सी0, मूल माईग्रेशन सर्टिफिकेट एवं मूल अँकसूची के साथ-साथ प्रत्येक की अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जाय।

(5) अधिकतम आयु सीमा-

मण्डल के स्वाध्यायी/क्रेडिट योजना से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु इसकी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

(6) प्रवेश सूची-

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश सूची अनिवार्य रूप से दिनांक 20-08-2018 तक मण्डल के वेबसाइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन प्रविष्टि करें।

(ब) प्रवेश की अन्य शर्तें-

कक्षा 9वीं तथा 11वीं हेतु

कक्षा 9वीं- कक्षा 9वीं में पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रों को पात्रतानुसार निर्धारित अवधि 31 जुलाई 2018 तक ही कक्षा 9वीं में नियमित प्रवेश दिया जावेगा। छात्रों को बीच सत्र में प्रवेश की पात्रता नियमानुसार होगी।

नामाँकन - मण्डल विनियम क्रमाँक: 128 के तहत समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का मण्डल में नामाँकन कराना अनिवार्य है, इसके अभाव में वे मण्डल की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र होंगे।

मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय सभी छात्रों का नामाँकन करना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2018-19 में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया है। उनकी प्रवेश प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन नामाँकन फार्म भरना आवश्यक होगा। नामाँकन प्रक्रिया दिनांक 31-08-2018 तक पूर्ण करें।

मण्डल में एक बार नामाँकन होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में छात्र से दोबारा नामाँकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

कक्षा 11वीं- कक्षा 11वीं में भी प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 रहेगी। कक्षा 10वीं के पूरक प्राप्त नियमित छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। किन्तु पूरक परीक्षा के पश्चात जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे ही 11वीं कक्षा में नियमित माने जावेगे और जो छात्र अनुत्तीर्ण होंगे वे कक्षा 10वीं में ही अध्ययनरत रहेगे। कक्षा 11वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

कक्षा 10वीं तथा 12वीं हेतु

कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से निम्नलिखित छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा :-

- (i) वे छात्र जिन्होंने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2018 में मान्यता प्राप्त मण्डल की संस्था से उत्तीर्ण की हो।

विश्व



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर


- (ii) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 2018 में नियमित रूप से सम्मिलित हुये ऐसे छात्र जो प्रथम बार उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों। उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (iii) सत्र 2016-17 की कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ऐसे छात्र जो किसी कारणवश शैक्षणिक सत्र 2017-18 में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हों अर्थात् उनका एक वर्ष का अन्तराल (GAP) आया हो, ऐसे छात्र एक वर्ष अंतराल का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2018-19 में अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं।
- (iv) मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा वर्ष 2017 या 2018 में सम्मिलित ऐसे छात्र जो उत्तीर्ण तो हो गये हैं, किन्तु श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु जो छात्र वर्ष 2017 या 2018 के पूर्व के वर्षों में 10वीं या 12वीं परीक्षा के उत्तीर्ण हुए हैं वे श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे। इस योजना में केवल एक अवसर ही मिलेगा। श्रेणी सुधार में विषय परिवर्तन मान्य नहीं है तथा 2017 के छात्रों को एक वर्ष अंतराल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (v) वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूरक प्राप्त छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे सकेंगे। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के पूरक परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित माने जावेंगे और अनुत्तीर्ण होने पर पात्रतानुसार पिछली कक्षा में ही अध्ययनरत् रहेगें।

नोट :- दो वर्ष से लगातार अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(स) विषय/संकाय/ट्रेड परिवर्तन-

कक्षा 11वीं उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 12वीं की परीक्षा में विषय/ट्रेड में परिवर्तन की पात्रता होगी परन्तु कक्षा 12वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को विषय परिवर्तन की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

- (i) विज्ञान संकाय का छात्र अन्य किसी भी विषय/संकाय में परिवर्तन कर सकता है।
- (ii) वाणिज्य संकाय का छात्र विज्ञान संकाय को छोड़कर किसी भी संकाय में परिवर्तन कर सकता है।
- (iii) कला संकाय का छात्र कला संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य संकाय में परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी।
- (iv) किसी भी संकाय के अनुत्तीर्ण छात्रों को हायर सेकण्डरी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम चयन करने की पात्रता होगी।
- (v) हायर सेकण्डरी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।


प्रोफेसर व्ही.के.गोयल
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर